

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा

बड़जलास श्री राजेश डागा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 53/22

दिनांक 22.06.2022

1. हेमन्त कुमार पुत्र नृसिंहलाल जाति महाजन निवासी आंवा तहसील कनवास।
2. कृष्ण मुरारी न्याति पुत्र नृसिंहलाल जाति महाजन निवासी आंवा।
3. प्रभूदयाल न्याति पुत्र नृसिंह लाल जाति महाजन निवासी आंवा।
4. कान्ता न्याति पत्नि नृसिंहलाल जाति महाजन निवासी आंवा हाल निवासी समीवादीगण मकान नंबर 77 आदर्श नगर कुन्हाडी बून्दी रोड कोटा।

—वादीगण—

—बनाम—

1. महावीर प्रसाद पुत्र राधाकिशन जाति गुर्जर निवासी जांगल्याहेडी।
2. राधाकिशन पुत्र गोपीलाल जाति गूर्जर निवासी जांगल्याहेडी।
3. दिनेश कुमार पुत्र राधाकिशन जाति गुर्जर निवासी जांगल्याहेडी मृतक जयें कायम मुकाम
  1. अशोक पुत्र दिनेश कुमार जाति गूर्जर निवासी जांगल्याहेडी तहसील कनवास।
  2. प्रियंका पुत्री दिनेश कुमार जाति गुर्जर निवासी जांगल्याहेडी तहसील कनवास जिला कोटा।
4. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार कनवास जिला कोटा।

—प्रतिवादीगण—

उपस्थित :-


वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री नरेन्द्र कुमार कटारिया।  
प्रतिवादीगण 01 लगायत 03 की ओर से एडवोकेट श्री सुरेश गोचर  
प्रतिवादी नंबर 04 राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास।

निर्णय

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट.

वादीगण द्वारा जयें एडवोकेट वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट प्रस्तुत किया गया। वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलवी जारी की गई। प्रतिवादीगण 01 लगायत 03 की ओर से दिनांक 22.06.2022 जयें एडवोकेट वाद पत्र में जवाब दावा मय राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम आंवा की खसरा संख्या 267 पूर्वी की रकबा 1.21 हैक्टयर, खसरा संख्या 267/2768 की 1.21 हैक्टयर, खसरा संख्या 267/2769 की रकबा 0.68 हैक्टयर कुल कित्ता 03 की रकबा 3.10 हैक्टयर भूमि का खातेदार वादीगण हेमन्त कुमार, कृष्ण मुरारी न्याति, प्रभूदयाल न्याति, पुत्रान नृसिंहलाल तथा कान्ता न्याति पत्नि नृसिंहलाल जाति महाजन निवासीगण आंवा को सम्भाग में प्रत्येक वादीगण को  $1/4 - 1/4 - 1/4$  हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त आराजी इन चारों वादीगण के खाते दर्ज कर दी जावे।

Page no 1

  
उपखण्ड अधिकारी  
कनवास जिला कोटा

ग्राम आंवा की खसरा संख्या 268/2267 की रकबा 1.11 हैक्टर, खसरा संख्या 269 की रकबा 0.10 हैक्टर कुल कित्ता 02 की रकबा 1.21 हैक्टर भूमि का खातेदार महावीर प्रसाद पुत्र राधाकिशन जाति गूर्जर निवासी जांगल्याहेडी को प्रतिवादी नंबर 01 को घोषित किया जावे तथा उक्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में महावीर प्रसाद प्रतिवादी नंबर 01 के खाते दर्ज कर दी जावे।

ग्राम आंवा की खसरा संख्या 268/2708 की रकबा 1.21 हैक्टर आराजी का खातेदार अशाक पुत्र दिनेश कुमार व प्रियंका पुत्री दिनेश कुमार जाति गूर्जर निवासीगण जांगल्याहेडी तहसील कनवास प्रतिवादी नंबर 3(1) व 3(2) को सम्भाग में 1/2 - 1/2 हिस्से से घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में अशोक व प्रियंका का नाम दर्ज कर दिया जावे।


यह कि ग्राम आंवा की खसरा संख्या 268 की रकबा 0.68 हैक्टर तथा खसरा संख्या 268/2705 की 0.10 हैक्टर कित्ता 02 की रकबा 0.78 हैक्टर आराजी में महावीर प्रसाद पुत्र राधाकिशन जाति गूर्जर निवासी जांगल्याहेडी प्रतिवादी नंबर 01 को 1/3 हिस्से का तथा राधाकिशन पुत्र गोपीलाल जाति गूर्जर निवासी जांगल्याहेडी प्रतिवादी नंबर 02 को 1/3 हिस्से का तथा अशोक कुमार पुत्र दिनेश कुमार प्रतिवादी नंबर 03(1) को 1/6 हिस्से का तथा प्रियंका पुत्री दिनेश कुमार जाति गूर्जर प्रतिवादी नंबर 03(2) को 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे व राजस्व रिकॉर्ड अमल-दरामद कर तदनुसार जमाबन्दी में भी इसका अंकन किया जावे।

यह कि राजस्व नक्शा ट्रेस में भी खसरा संख्या 268 की रकबा 0.68 हैक्टर के स्थान पर 267/2769 रकबा 0.68 हैक्टर, एवं खसरा संख्या 268/2708 की रकबा 1.21 हैक्टर के स्थान पर 267/2768 की रकबा 1.21 हैक्टर एवं खसरा संख्या 268/2276 की रकबा 1.11 हैक्टर व 269 की रकबा 0.10 हैक्टर के स्थान पर खसरा संख्या 267 की रकबा 1.21 हैक्टर पूर्वी दर्ज कर दी जावे तथा खसरा संख्या 267 की रकबा 1.21 हैक्टर पूर्वी के स्थान खसरा संख्या 268/2276 की रकबा 1.11 व खसरा संख्या 269 रकबा 0.10 हैक्टर दर्ज कर दी जावे।

तथा खसरा संख्या 267/2768 की रकबा 1.21 हैक्टर के स्थान पर खसरा संख्या 268/2708 की रकबा 1.21 हैक्टर एवं खसरा संख्या 267/2769 की रकबा 0.68 हैक्टर के स्थान पर खसरा संख्या 268 की रकबा 0.68 हैक्टर दर्ज कर दी जावे और नक्शा ट्रेस को दुरुस्त किया जावे।

यह कि राजस्व नक्शा ट्रेस में जो लाइन खसरा नंबर 270 व 271 के मध्य स्थित है तथा खसरा संख्या 226 को छुती हुई उत्तरी दिशा में जा रही है इस रेखा के पश्चिमी तरफ एक अन्य रेखा है तथा दोनों रेखाओं के मध्य जो खसरा संख्या 268/2705 की रकबा 0.10 हैक्टर दर्ज है, इस नम्बर 268/2705 को इस स्थान से हटाकर रेखा जो 226 को छुती हुई उत्तरी तरफ जा रही है पूर्वी तरफ 268/2705 खसरा संख्या डाले जाकर नई रेखा पूर्वी तरफ डाली जावे व पश्चिमी तरफ की रेखा को हटाया जावे।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामों का अवलोकन किया गया तथा दोनों पक्षों को पढकर सुनाया गया। दोनों पक्षों ने राजीनामा सुनकर मुताबिक राजीनामा निर्णय किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की गई। राजीनामा तस्दीक कर शामिल पत्रावली किया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
कनवास जिला केन्द्र (सजरा)

Page no 2

हमारे द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों, संलग्न दस्तावेजों एवं मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

### आदेश

अतः वादीगण का वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम आंवा की खसरा संख्या 267 पूर्वी की रकबा 1.21 हैक्टर, खसरा संख्या 267/2768 की 1.21 हैक्टर, खसरा संख्या 267/2769 की रकबा 0.68 हैक्टर कुल कित्ता 03 की रकबा 3.10 हैक्टर भूमि का खातेदार वादीगण हेमन्त कुमार, कृष्ण मुरारी न्याति, प्रभूदयाल न्याति, पुत्रान नृसिंहलाल तथा कान्ता न्याति पत्नि नृसिंहलाल जाति महाजन निवासीगण आंवा को सम्भाग में प्रत्येक वादीगण को  $1/4 - 1/4 - 1/4, - 1/4$  हिस्से का खातेदार घोषित जाता है तथा उक्त आराजी इन चारों वादीगण के खाते दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।


ग्राम आंवा की खसरा संख्या 268/2267 की रकबा 1.11 हैक्टर, खसरा संख्या 269 की रकबा 0.10 हैक्टर कुल कित्ता 02 की रकबा 1.21 हैक्टर भूमि का खातेदार महावीर प्रसाद पुत्र राधाकिशन जाति गूजर निवासी जांगल्याहेडी प्रतिवादी नंबर 01 को घोषित किया जाता है तथा उक्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में महावीर प्रसाद प्रतिवादी नंबर 01 के खाते दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

ग्राम आंवा की खसरा संख्या 268/2708 की रकबा 1.21 हैक्टर आराजी का खातेदार अशाक पुत्र दिनेश कुमार व प्रियंका पुत्री दिनेश कुमार जाति गूर्जर निवासीगण जांगल्याहेडी तहसील कनवास प्रतिवादी नंबर 3(1) व 3(2) को सम्भाग में  $1/2 - 1/2$  हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में अशोक व प्रियंका का नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

यह कि ग्राम आंवा की खसरा संख्या 268 की रकबा 0.68 हैक्टर तथा खसरा संख्या 268/2705 की 0.10 हैक्टर कित्ता 02 की रकबा 0.78 हैक्टर आराजी में महावीर प्रसाद पुत्र राधाकिशन जाति गुर्जर निवासी जांगल्याहेडी प्रतिवादी नंबर 01 को  $1/3$  हिस्से का तथा राधाकिशन पुत्र गोपीलाल जाति गूर्जर निवासी जांगल्याहेडी प्रतिवादी नंबर 02 को  $1/3$  हिस्से का तथा अशोक कुमार पुत्र दिनेश कुमार प्रतिवादी नंबर 03(1) को  $1/6$  हिस्से का तथा प्रियंका पुत्री दिनेश कुमार जाति गुर्जर प्रतिवादी नंबर 03(2) को  $1/6$  हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रिकॉर्ड अमल-दरामद कर तदनुसार जमाबन्दी में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

यह कि राजस्व नक्शा ट्रेस में भी खसरा संख्या 268 की रकबा 0.68 हैक्टर के स्थान पर 267/2269 रकबा 0.68 हैक्टर, एवं खसरा संख्या 268/2708 की रकबा 1.21 हैक्टर के स्थान पर 267/2768 की रकबा 1.21 हैक्टर एवं खसरा संख्या 268/2276 की रकबा 1.11 हैक्टर व 269 की रकबा 0.10 हैक्टर के स्थान पर खसरा संख्या 267 की रकबा 1.21 हैक्टर पूर्वी दर्ज कर दी जावे तथा खसरा संख्या 267 की रकबा 1.21 हैक्टर पूर्वी के स्थान खसरा संख्या 268/2276 की रकबा 1.11 व खसरा संख्या 269 रकबा 0.10 हैक्टर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

तथा खसरा संख्या 267/2768 की रकबा 1.21 हैक्टर के स्थान पर खसरा संख्या 268/2708 की रकबा 1.21 हैक्टर एवं खसरा संख्या 267/2769 की रकबा 0.68 हैक्टर

  
उपस्थित अधिकारी  
कान्ता न्याति (सहायक)

के स्थान पर खसरा संख्या 268 की रकबा 0.68 हैक्टर दर्ज कर दी जावे और इसी प्रकार नक्शा ट्रेस को दुरुस्त करने के आदेश दिये जाते हैं।

यह कि राजस्व नक्शा ट्रेस में जो लाइन खसरा नंबर 270 व 271 के मध्य स्थित है तथा खसरा संख्या 226 को छुती हुई उत्तरी दिशा में जा रही है इस रेखा के पश्चिमी तरफ एक अन्य रेखा है तथा दोनों रेखाओं के मध्य जो खसरा संख्या 268/2705 की रकबा 0.10 हैक्टर दर्ज है , इस नम्बर 268/2705 को इस स्थान से हटाकर रेखा जो 226 को छुती हुई उत्तरी तरफ जा रही है पूर्वी तरफ 268/2705 खसरा संख्या डाले जाकर नई रेखा पूर्वी तरफ डाली जावे व पश्चिमी तरफ की रेखा को हटाया जावे। मुताबिक निर्णय अन्तिम डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



राजेश डागा (आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी  
कनवास जिला कार्यालय (सब०)